

भारत सरकार  
पंचायती राज मंत्रालय  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 285**  
दिनांक 4 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

**पंचायती राज संस्थाओं के लिए निधि**

285. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:  
श्री चंदन चौहान:  
श्री सतपाल ब्रह्मचारी:  
श्री सनातन पांडेय:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुदान सिफारिशों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सीधे तौर पर निधि आवंटित की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) पंद्रहवें वित्त आयोग के उक्त अनुदानों के अंतर्गत हरियाणा, विशेष रूप से सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले, झारखंड और बिहार के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आवंटित निधि की कुल राशि कितनी है तथा उसमें से अब तक कितनी निधि का उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार और पंचायतवार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत, वित्त वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए 28 राज्यों में सभी तीनों स्तरों की पंचायतों, पारंपरिक स्थानीय निकायों और छठी अनुसूची क्षेत्रों को 2,36,805 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राज्य सरकारों को आगे पंचायतों/पारंपरिक निकायों को हस्तांतरण के लिए जारी किए जाते हैं। केंद्र सरकार से पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान प्राप्त होने पर राज्य सरकारों को इसे 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित पंचायतों/पारंपरिक निकायों को हस्तांतरित करना होता है। 10 कार्य दिवसों से अधिक विलंब होने पर राज्य सरकार को पिछले वर्ष के बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण पर औसत प्रभावी ब्याज दर के अनुसार विलंब की अवधि के लिए ब्याज सहित अनुदान जारी करना होता है।

(ख) और (ग) पंद्रहवें वित्त आयोग (2021-26) के तहत हरियाणा (सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित), उत्तर प्रदेश (बलिया जिला सहित), झारखंड और बिहार के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आवंटित और जारी की गई धनराशि निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आवंटित धनराशि	जारी धनराशि*
1	हरियाणा	4929.00	3343.02
2	उत्तर प्रदेश	38012.00	30215.00
3	झारखंड	6585.00	3849.00
4	बिहार	19561.00	13348.50

\*(29.01.2025 तक)

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के तहत आवंटित और जारी धनराशि का जिला और पंचायतवार ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

\*\*\*\*\*